आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.20(101) आयो./आकाशि/ 2014-15/ AISHE/ 1579 दिनांक 4/2/19

स्मरण पत्र-2

समस्त प्राचार्य
राजकीय / निजी / बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : **AISHE 2018-19 के लिए DCF-II अपलोड करने की दिनांक 31.1.2019 से बढ़ा कर 14.2.2019 करने बाबत** ।
सन्दर्भ : समसंख्यक पत्र क्रमांक 1553 दिनांक 5.12.18 एवं क्रमांक 1563 दिनांक 4.1.2019.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम लेख है कि आपको **AISHE 2018-19 के लिए DCF-II दिनांक 31.1.2019 तक अपलोड करने हेतु** निर्देशित किया गया था। इस क्रम में अभी भी केवल 42% सम्बद्धक महाविद्यालयों के DCF-II अपलोड नहीं हुए हैं, इस हेतु अंतिम तिथि 14.2.19 की जाती है ।

विभाग के आदेश क्रमांक F4(20)CCE/PI/2018/75, दिनांक 30.7.18 के द्वारा नामित समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन **सामान्य निजी महाविद्यालयों व बीएड महाविद्यालयों** को अपने स्तर पर **दूरभाष/SMS** पर उन्हें निरंतर सूचित करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करें। DCF-II अपलोड करने में यदि निजी महाविद्यालयों/ बी.एड. महाविद्यालयों को तकनीकी सहायता आवश्यक हो तो उन्हें महाविद्यालय में यह सहायता उपलब्ध करवाते हुए उस महाविद्यालय का DCF-II अपलोड संपन्न करवाने का श्रम करें । **इस सम्बन्ध में महाविद्यालय से पत्र व्यवहार करते समय अपने महाविद्यालय के AISHE नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी निजी/बीएड महाविद्यालयों को सूचित करें जिससे यह कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो सके।**

समस्त निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की NOC नीति अनुसार DCF-II अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है। निजी महाविद्यालय अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय से तकनीकी मदद के लिए विभागीय आदेश क्रमांक F4(20)CCE/PI/2018/75, दिनांक 30.7.18 का अवलोकन कर लें । (ये पत्र विभागीय वेबसाइट पर सम्बंधित तिथि पर उपलब्ध है।). उक्तानुसार नोडल राजकीय महाविद्यालय से मदद लेते हुए अपना DCF-II 14.2.19 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें ।

इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी व गाइडलाइन्स AISHE पोर्टल http://aishe.nic.in/aishe/surveyguideline पर उपलब्ध हैं । इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. पंकज माथुर/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

(प्रदीप कुमार बोरड, IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव-उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि :

1. डॉ. अर्चना शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं),पृथक से निजी महाविद्यालयों को इस विषय के लिए निर्देशित करवाने हेतु।
3. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों/निजी महाविद्यालयों को जागरूक करें व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करें।
4. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे निजी व बीएड महाविद्यालयों से संपर्क कर DCF-II अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।
5. **समस्त OIC, राजकीय महाविद्यालय समूह, आकाशि को भेज कर लेख है कि वे अपने राजकीय महाविद्यालयों को आदेशानुसार AISHE के DCF-II को निर्धारित तिथि तक अपलोड करने हेतु सूचित करें ।**
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा